

# NEXT IAS

## दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

---

वन प्रशासन के भविष्य पर विवाद

---

[www.nextias.com](http://www.nextias.com)

## वन प्रशासन के भविष्य पर विवाद

### संदर्भ

- हाल ही में एक घटनाक्रम में, छत्तीसगढ़ वन विभाग ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) के कार्यान्वयन के लिए स्वयं को नोडल एजेंसी घोषित करने वाला पत्र जारी किया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।
- यह घटना भारत के वन शासन में चल रहे गहरे और जटिल संघर्ष को उजागर करती है।

### भारत में वन एवं उसका शासन

- भारत के वन केवल पारिस्थितिक संपदा नहीं हैं — ये सांस्कृतिक परिदृश्य, आजीविका के स्रोत और जलवायु के लिए बफर भी हैं।
- ये वन भारत के जलवायु लक्ष्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कार्बन अवशोषण और जैव विविधता का संरक्षण।
- भारत का 25.17% भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादन में आता है, जिसमें पेड़ और मैंग्रोव कवर लगातार बढ़ रहा है।
- भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 भारत में वन शासन का विकास औपनिवेशिक विरासत और स्वतंत्रता के बाद के सुधारों के माध्यम से हुआ है।

### ऐतिहासिक आधार और कानूनी ढांचे

- औपनिवेशिक विरासत:** वन शासन की शुरुआत ब्रिटिश शासन में 1865 के भारतीय वन अधिनियम से हुई, जिसमें लकड़ी के दोहन और केंद्रीकृत नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई (वैज्ञानिक वानिकी)।
- स्वतंत्रता के पश्चात् सुधार:** वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 ने संरक्षण और वनवासियों के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लाए।
- हाल के संशोधन:** वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने संरक्षण संबंधी सुरक्षा को कमजोर करने और वाणिज्यिक दोहन को बढ़ावा देने को लेकर परिचर्चा शुरू कर दी है।

### वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 की प्रमुख धाराएं

- स्वामित्व अधिकार:** 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर की गई खेती का अधिकार (अधिकतम 4 हेक्टेयर)।
- उपयोग अधिकार:** लघु वन उपज, चरागाह, जल स्रोत और पारंपरिक मार्गों तक पहुंच।
- राहत और विकास अधिकार:** बेदखली से सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार।
- वन प्रबंधन अधिकार:** समुदाय वे वनों की रक्षा और संरक्षण कर सकते हैं जिनकी देखभाल वे पारंपरिक रूप से करते आए हैं।

### सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) और विकेंद्रीकृत शासन

- FRA, 2006 के तहत CFRR की शुरुआत हुई, जिसमें ग्राम सभाओं को पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर वन प्रबंधन का अधिकार दिया गया।
- इस अधिनियम में अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को वन संसाधनों तक पहुंच, प्रबंधन और संरक्षण के अधिकार दिए गए।

- यह औपनिवेशिक दौर की उस व्यवस्था को सुधारता है जिसमें स्थानीय समुदायों से नियंत्रण छीन लिया गया और उनकी पारंपरिक संस्थाओं को केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था से बदल दिया गया।
- 10,000 से अधिक ग्राम सभाओं को CFRR शीर्षक प्राप्त हुआ है, लेकिन संस्थागत प्रतिरोध के कारण 1,000 से कम ग्राम सभाओं ने प्रबंधन योजना विकसित की है।

### शासन से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- **नीतिगत टकराव:** आधारभूत संरचना और खनन को बढ़ावा देने की नीति अक्सर संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों से टकराती है।
- **संस्थागत प्रतिरोध:** कई वन विभाग अभी भी नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जिससे FRA के कार्यान्वयन में बाधाएं आती हैं।
- **कानूनी लड़ाइयाँ:** उच्चतम न्यायालय में कई मामले लंबित हैं, जिनका असर लाखों वनवासियों के अधिकारों पर पड़ सकता है।

### आगे की राह

- कानूनी और वित्तीय समर्थन द्वारा समुदाय आधारित प्रबंधन को सुदृढ़ करना।
- औपनिवेशिक योजनाओं को त्यागकर अनुकूलनशील और पारिस्थितिकी आधारित दृष्टिकोण अपनाना।
- वन विचलन और संरक्षण निर्णयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- वन शासन ढांचे में जलवायु-सहनशीलता को एकीकृत करना।

Source: TH

### दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न:** वन अधिकार अधिनियम भारत में वन प्रशासन के पारंपरिक प्रतिमानों को कैसे चुनौती देता है, और जलवायु लचीलापन और पारिस्थितिक स्थिरता के लिए समुदाय के नेतृत्व वाले प्रबंधन के क्या निहितार्थ हैं?

■■■■